



शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर

राजे रघुजी नगर, सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, नागपुर-४४००२४.

कार्यालय व फॅक्स : (०७१२) **अधिष्ठाता :** (०७१२) **ई मेल**
२७४९ १९८ **२७४९ १९८** **:govtayurvedcollege@yahoo.in**

क्रं.शाआमना/आस्था/प्रा.सह.प्रा/ /२०१३ दिनांक :- / /२०१३.

पाहीजेत

संदर्भ :-

- १) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रं.एमईएस १५०८/प्र.क्रं.९४/०८/वैसेवा-१, दिनांक ७.९.२०११.
- २) संचालक, आयुर्वेद संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रं. संआ/आस्था/प्राप-कंत्राट पृष्ठदती/२०११/आयु-३/१३०६२, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०११.
- ३) संचालक, आयुर्वेद संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रं. संआ/आस्था/प्राप-कंत्राट पृष्ठदती/२०११/आयु-३/५५८२, दिनांक ७ मे, २०१३.

१) या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील विविध विषयातील खालील रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात करार पृष्ठदतीने भरण्याकरीता विहीत अटीची पुर्तता करणा-या पात्र व इच्छुक उमेदवारांना थेट मुलाखतीसाठी आमंत्रीत करण्यात येत आहे (Walk in Interview)

२) रिक्त पदांचा प्रवर्गनिहाय तपशिल :

| विषय | प्राध्यापक | आरक्षण | |
|----------------|------------|--------|------------|
| | रिक्त पदे | अ.जा | सर्वसाधारण |
| द्रव्यगुण | १ | — | १ |
| एकुण रिक्त पदे | २ | — | २ |

| विषय | सहयोगी प्राध्यापक | आरक्षण | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|
| | रिक्त पदे | अ.जा | सर्वसाधारण |
| संस्कृत संहिता सिधांत | १ | — | १ |
| अगदतंत्र | १ | — | १ |
| एकुण रिक्त पदे | १ | — | १ |

टिप :- १) मुलाखतीच्या दिवसार्पर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडुन संबंधीत विषयातील प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक पदाचा पात्र उमेदवार उपलब्ध झाल्यास, त्या संबंधीत विषयातील प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी केलेल्या अर्जाचा करार पृष्ठदतीने नियुक्तीचा विचार केला जाणार नाही.

२) कारार पृष्ठदतीने संबंधीत विषयातील प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक पदावर नियुक्त करतांना अ.जा प्रवर्गाचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्याचे स्थितीत आरक्षण अंतर्गत शासनाचे धोरण लक्षात घेवुन त्या प्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

| | | |
|----|----------------------------|--|
| ३) | वयोमर्यादा | कमाल ६५ वर्ष |
| ४) | शैक्षणिक अर्हता | <p>अ) संविधिक विद्यापीठाची अथवा मान्यताप्राप्त संस्थेची संबंधीत आयुर्वेद विषयातील पदव्युत्तर पदवी. संबंधीत विषयात पदव्युत्तर पदवी अर्हता धारण करीत नसल्यास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडुन शिक्षक मान्यता असणे गरजेचे आहे.</p> <p>ब) महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१ (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२८) या अधिनियमाच्या परीशिष्टाच्या भाग-अ, भाग-अ-१, भाग-ब, भाग-क मध्ये नमुद केलेल्या अर्हतापैकी एक अथवा भारतीय वैद्यक केंद्रिय वैद्यक परीषद अधिनियम, १९७० (१९७० चा ४८) या अधिनियमाखाली, भारतीय केंद्रिय वैद्यक परीषदेने वेळोवेळी निर्देशीत केलेली समतुल्य अर्हता.</p> <p>क) ज्या उमेदवारांचे आयुर्वेद विषयातील स्वतःचे मुलभूत संशोधन निवंध अथवा पुस्तके, प्रसिद्ध झालेली आहेत अशा उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.</p> <p>ड) इंग्रजी, मराठी, संस्कृत आणि हिंदी या भाषेचे पुरेसे ज्ञान असावे म्हणजे त्यानुसार तो त्या भाषा सहजपणे लिहण्यास, वाचण्यास व बोलण्यास समर्थ असला पाहीजे.</p> |
| ५) | अनुभव | <p>अ) प्राध्यापक पदासाठी संबंधीत विषयामध्ये एकुण दहा वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असेल, त्यापैकी मान्यताप्राप्त संस्थेतुन संबंधीत विषयात सहयोगी प्राध्यापक (प्रपाठक) या पदावरील किमान ५ वर्षाहुन कमी नसेल इतका अनुभव.</p> <p>ब) सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी संबंधीत विषयामध्ये एकुण पाच वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असेल, त्यापैकी मान्यताप्राप्त संस्थेतुन संबंधीत विषयात सहाय्यक प्राध्यापक (अधिव्याख्याता) या पदावरील किमान ३ वर्षाहुन कमी नसेल इतका अनुभव.</p> |
| ६) | मानधन | <p>अ) प्राध्यापक - प्रतिमाह रु.५०,०००/-</p> <p>ब) सहयोगी प्राध्यापक - प्रतिमाह रु.४०,०००/-</p> |
| ७) | नियुक्ती कालावधी व इतर अटी | <p>१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडुन किंवा आस्थापना मंडळाकडुन वा बदलीने तसेच अन्य प्रशासनिक कारणास्तव पात्र उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत अथवा ३६४ दिवसांच्या कालावधीकरीता या पैकी जे अगोदर घडेल तो कालावधी राहील मात्र कोणत्याही परीस्थितीत ३६४ दिवसानंतर खंड दिल्याशिवाय पुनः करार पध्दतीने नियुक्ती दिली जाणार नाही. अध्यापकांचे कामकाज समाधानकारक असल्यास तात्पुरत्या स्वरूपात करार पध्दतीने ही नेमणुक तांत्रीक खंड देवुन वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत शासन मान्यतेनंतर देता येईल.</p> <p>२) नियुक्तीसाठी बाह्यशक्तीचा दबाव अथवा शिफारस आणणारे उमेदवार नियुक्तीसाठी आपोआप अपात्र ठरतील.</p> <p>३) सदर पदावर नियमीत उमेदवाराची नियुक्ती झाल्यास त्या तारखेस तात्पुरत्या स्वरूपात करार पध्दतीने केलेली नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.</p> <p>४) मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षीत असलेल्या पदावर अर्ज करणा-या उमेदवाराने जात वैद्यता प्रमाणपत्राची सांक्षाकीत प्रत जोडणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा उमेदवाराचा अर्ज त्या प्रवर्गासाठी विचारांत घेतला जाणार नाही.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>५) नियमीत नियुक्त आणि कार्यरत अध्यापकांप्रमाणेच उमेदवारांचे कामाचे तास राहतील.</p> <p>६) उमेदवारास सार्वजनिक सुट्या आणि रविवार व्यातिरीक्त कोणत्याही प्रकारची रजा अनुज्ञेय राहणार नाही.</p> <p>७) करार पद्धतीवरील नियुक्ती दिलेल्या उमेदवाराचे राजिनामा द्यावयाचा झाल्यास त्यांनी ३ महीन्याची आगाऊ नोटीस अधिष्ठातांकडे देणे बंधनकारक राहील. ते शक्य नसल्यास ३ महीन्याच्या मानधनाची रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केल्यानंतर त्याचा/तीचा राजीनामा मंजुर करता येईल.</p> <p>८) करार पद्धतीवरील नियुक्ती केलेल्या उमेदवारांच्या कामकाजाचा आढावा विभाग प्रमुख व अधिष्ठाता यांनी नियमीतपणे घेण्यात येईल. असा आढावा असमाधानकारक असल्यास संबंधीत उमेदवारांच्या नियुक्त्या पुर्वसुचना न देता समाप्त करण्याचे अधिकार अधिष्ठाताकडे राहील.</p> <p>९) करार पद्धतीच्या उमेदवारांस विभागाचे विभाग प्रमुख व अधिष्ठाता यांच्या नियंत्रणाखाली आपल्या पदाचे कर्तव्य व जबाबदा-या पार पाडाव्या लागतील तसेच या उमेदवारांना नियमीत अध्यापकांप्रमाणे काम करणे बंधनकारक राहील.</p> <p>१०) करार पद्धतीवरील नियुक्त अध्यापकांना त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेल्या महाविद्यालयीन व रुग्णालयीन कर्तव्य व जबाबदा-यावर विपरीत परीणाम होणार नाही याची दक्षता घेवुन खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास मुभा राहील.</p> <p>११) करार पद्धतीवरील नियुक्त उमेदवारांना नियमीत नियुक्तीसाठी कोणताही हक्क राहणार नाही व न्यायालयात हि करार पद्धतीची नियुक्ती कायम करण्यावाबतचा दावा करता येणार नाही. तसेच करार पद्धतीवरील काम केलेल्या कालावधी सेवानिवृत्तीच्या लाभासाठी विचारांत घेता येणार नाही.</p> <p>१२) नियुक्ती आदेश मिळाल्यापासुन ७ दिवसाच्या आंत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजु न झाल्यास नियुक्तीवरील दावा आपोआप संपुष्टात येईल.</p> <p>१३) आरक्षणाचे पदे वगळता सर्वसाधारण गटातुन अर्ज करणा-या उमेदवारासाठी सर्व प्रवर्गाच्या (Open to all) उमेदवारांचा समावेश होईल.</p> <p>१४) इतर संस्थेत नोकरीत असणा-या अध्यापकांनी मुळ संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणने बंधनकारक राहील.</p> <p>१५) कार्यालयीन वेळेत खाजगी व्यवसाय करता येणार नाही.</p> <p>१६) शासन/सक्षम प्राधिकरण/कार्यालयाकडुन वेळोवेळी निश्चित होणारे पदासंबंधीच्या आवश्यकतेप्रमाणे बंधपत्र देणे बंधनकारक राहील. तसेच शासन/सक्षम प्राधिकरण/कार्यालयाकडुन वेळोवेळी प्राप्त निर्देश/आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक राहील.</p> <p>१७) नियुक्ती प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्यावर फेरबदल करण्याचे किंवा रद्य करण्याचे सर्व अधिकार अधिष्ठाता यांचेकडे राखीव आहेत.</p> |
|--|--|

इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayush.gov.in व www.gacnagpur.org या वेबसाईट वर उपलब्ध करून दिलेल्या विहीत नमुन्यातीच अर्ज भरून, आवश्यक प्रमाणपत्राच्या सांक्षाकीत प्रतीसह अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजे रघुजी नगर, उमरेड रोड, सक्करदरा चौक, नागपुर-४४००२४ या पत्यावर दिनांक १९.११.२०१३ रोजी सांयकाळी ५.३०

वाजेपर्यन्त पाठवावेत. अर्ज पाठवितांना लिफाफयावर "प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक
... (विषयाचे नांव) पदावरील करार पद्धतीने तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी अर्ज" असे ठळक अक्षरांत लिहावे.

निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २१.११.२०१३ रोजी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर कार्यालयातील सुचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. कोणत्याही उमेदवाराला स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार नाही.

८) मुलाखतीचे वेळापत्रक (Walk in Interview)

| पदनाम | मुलाखतीचा दिनांक व वेळ | मुलाखतीचे ठिकाण |
|-------------------|----------------------------------|---|
| प्राध्यापक | २०.११.२०१३ सकाळी ११.०० वाजता. | अधिष्ठाता यांचे दालन, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजे रघुजी नगर, सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, नागपुर-४४००२४ |
| सहयोगी प्राध्यापक | | |

महत्वाची सुचना :-

- १) उमेदवारानी मुलाखतीस येतांना सर्व संबंधीत मुळ कागदपत्रे व त्याच्या सत्यप्रती सोबत आणाव्यात तसेच आरक्षीत पदासाठी संबंधीत उमेदवारांनी मुळ जात प्रमाणपत्र आणि जात वैद्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र मुळ संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणने अनिवार्य राहील.
- २) उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, आवेदपत्राचा नमुना, अर्हता, अटी ई.बाबतचा सविस्तर तपशिल www.maharashtra.gov.in व www.mahayush.gov.in या वेबसाईटवरून संबंधीत सविस्तर माहीती अर्जाचा नमुना प्राप्त करवुन घ्यावा.

अधिष्ठाता,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
नागपुर.

DUTIES & RESPONSIBILITIES (AS PER MAHARASHTRA GOVT.RULES :

PROFESSOR :

- 1) The Professor will have to teach the subject to the student in the college with the help of assistance such as Associate Professor, Assistant Professor etc.
- 2) In case of Clinical subjects, he will have to impart clinical instruction in his subject to the students in the college with the help of his assistant.
- 3) He will have to guide the staff in his department in their teaching and bring their Knowledge of the subject up-date.
- 4) He will have to develop his department and maintain it up-date.
- 5) He will have to carry out research in the concerned subjects.
- 6) He will responsible for completion of his subject as per syllabus of the University within the prescribed period.
- 7) He will have to supervise the staff in his department
- 8) He will be responsible for routine work of his department
- 9) He will have to carry out any other duties as may be assigned to him by the Dean of his college.

ASSOCIATE PROFESSOR :

- 1) The Associate Professor will have to teach the subject to the student in the college as per the instruction of the Professor of his/her subject in the college.
- 2) In case of Clinical subjects, he/she will have to impart clinical instruction in his/her subject to the students in the college as per the instruction of the Professor of his/her subject in the college.
- 3) He/she will have to assist the professor of his subject in the development of his/her department and maintain it up to date.
- 4) He will have to assist the professor of his/her subject in carrying out research in the concerned subject.
- 5) He/She will have to carry out any other duties as may be assigned to him/her by his/her Superiors.

**Dean,
Govt.Ayurved College,
Nagpur.**

अर्जाचा नमुना
महाराष्ट्र शासन
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजे रघुजी नगर, सक्कदरा चौक, उमरेड रोड,
नागपुर-४४००२४

पासपोर्ट आकाराचा
फोटो चिकटवुन
त्यावर स्वतः
स्वाक्षरी करावी.

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर मधील प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक .
..... (विषय) या पदावर करार पद्धतीने ३६४

दिवसांच्या कालावधीकरीता जाहीरातीत नमुद अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन नियुक्तीसाठी अर्ज.

| १) | संपुर्ण नांव | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| | | | आडनाव | स्वतं:चे नांव | वडीलांचे/पतीचे नांव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २) | पत्रव्यवहाराचा पत्ता | : | पिनकोड एसटीडी कोडसह घरचा दुरध्वनी क्रमांक : भ्रमणध्वनी क्रमांक : ई-मेल : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३) | जन्म दिनांक | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४) | अर्ज स्विकारण्याच्या शेवटच्या दिनांकास वय | : | वर्ष | महीने | दिवस | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५) | राष्ट्रीयत्व | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६) | ज्या प्रवर्गासाठी अर्ज करावयाचा आहे त्या ठिकाणी (✓) अशी खुण करावी. एकापेक्षा जास्त खुणा केल्यास अर्ज अपात्र ठरविला जाईल. | : | अ.जा | खुला | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७) | जात वैद्यता प्रमाणपत्र आहे का होय/नाही. | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८) | शैक्षणिक अर्हता : बीएएमएस प्रथम वर्षापासुन सुरुवात करावी व सोबत सर्व वर्षाच्या सांक्षाकीत गुणपत्रीका जोडाव्यात : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>अ.क्रं.</th> <th>बोर्डाचे/विद्यापीठाचे नांव</th> <th>उत्तीर्ण केलेल्या परीक्षा</th> <th>उत्तीर्ण केल्याचे वर्ष</th> <th>प्राप्त टक्केवारी</th> <th>शासकीय सेवेतुन सेवानिवृत्त झाले असल्यास, प्रथम नियुक्तीचा दिनांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>४.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | अ.क्रं. | बोर्डाचे/विद्यापीठाचे नांव | उत्तीर्ण केलेल्या परीक्षा | उत्तीर्ण केल्याचे वर्ष | प्राप्त टक्केवारी | शासकीय सेवेतुन सेवानिवृत्त झाले असल्यास, प्रथम नियुक्तीचा दिनांक | १. | | | | | | २. | | | | | | ३. | | | | | | ४. | | | | | |
| अ.क्रं. | बोर्डाचे/विद्यापीठाचे नांव | उत्तीर्ण केलेल्या परीक्षा | उत्तीर्ण केल्याचे वर्ष | प्राप्त टक्केवारी | शासकीय सेवेतुन सेवानिवृत्त झाले असल्यास, प्रथम नियुक्तीचा दिनांक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९) | अवगत असणा-या भाषा : (योग्य ठिकाणी (✓) अशी खुण करावी) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | संस्कृत | अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०) | कामाचा अनुभव : (प्रमाणपत्राच्या सांक्षाकीत प्रती जोडल्या असतील तरच ग्राह्य धरला जाईल) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. क्रं. | संस्थेचे नांव | धारण केलेले पद | वेतनशेणी व इतर भत्ते | अनुभवाचा कालावधी | विद्यापीठाची मान्यता होती काय, असल्यास विद्यापीठाचे पत्र | कामाचे स्वरूप | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---------|--|
| | | | | | जोडावे. | |
| १. | | | | | | |
| २. | | | | | | |
| ३. | | | | | | |
| ४. | | | | | | |
| ११) | प्रकाशीत लेखांचा तपशिल (लेख्यांचा सांक्षाकीत प्रती जोडण्यात याव्यात) : | | | | | |
| | प्रकाशीत पुस्तकांचा तपशिल : | | | | | |
| १२) | पुरस्कार मिळाले असतील तर त्याचा तपशिल (प्रमाणपत्राच्या सांक्षाकीत प्रती जोडण्यात याव्यात) | | | | | |
| १३) | अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचा तपशिल : | | | | | |
| १. | | | | | | |
| २. | | | | | | |
| ३. | | | | | | |
| ४. | | | | | | |

प्रतिज्ञापत्र

मी श्री/श्रीमती/कुमारीप्रतिज्ञापुर्वक
नमुद करतो/करते कि, वर नमुद केलेली माहीती पुर्णतः खरी असुन ती खोटी आढळल्यास माझी
उमेदवारी नियुक्तीच्या ठिकाणी कोणत्याही टप्पावर किंवा नियुक्तीनंतर रद्य करण्यात येईल आणि
माझेविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही होईल, याची मला जाणीव आहे. तसेच सदरची नेमणुक निव्वळ
तात्पुरत्या स्वरूपाची कंत्राटी पध्दतीवर असल्यामुळे नियमीत नियुक्तीसाठी मला हक्क सांगता
येणार नाही आणि जाहीरातीत उल्लेखीत कारणास्तव नियमीत नियुक्तीचा उमेदवार/महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाकडुन/आस्थापना मंडळाकडुन/बदलीने उपलब्ध झाल्यास माझी तात्पुरती
स्वरूपाची कंत्राटी नेमणुक आपोआप रद्द होईल, याची मला जाणीव आहे.

ठिकाण :

दिनांक :

उमेदवाराची स्वाक्षरी

(संपुर्ण नांवासहीत)